रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-18022022-233626
SG-DL-E-18022022-233626

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

अधिप्रमाणित
(नित्यानंद राय)
गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली

सं. 110] दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 18, 2022/माघ 29, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 464
No. 110] DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 18, 2022/MAGHA 29, 1943 [N. C. T. D. No. 464

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह–1 (पुलिस)/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 18 फरवरी, 2022

सं. फा. 16/12/2020/गृह पुलिस–1/स्थापना/3562–3568.—दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 (1978 का 34) की धारा 147 की उप–धारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप–राज्यपाल एतद्द्वारा दिल्ली पुलिस नियमावली (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली, 1980 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः–

(1) संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः–

(1) इन नियमो को दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2022 कहा जायेगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

(2) संशोधनः–

उक्त नियमों में नियम 17–ख (iv) दिल्ली पुलिस में संचार इकाई के सहायक वायरलैस ऑपरेटर/टेली–प्रिंटर ऑपरेटर (प्रधान सिपाही) के पद से संबंधित है।

(1) ''पदों की संख्या'' से संबंधित कॉलम के समक्ष प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

1793 (2020)

''इसमें परिवर्तन कार्यभार के आधार पर निर्भर'' ।

(2) ''वेतनमान'' से संबंधित कॉलम मे प्रविष्टि के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर...........स्तर—4 (25,500—81100 रुपये)

(3) 'यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है'' से संबंधित कॉलम के समक्ष प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

लागू नहीं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

पवन कुमार, उप—सचिव (गृह—1)

टिप्पणी : दिनांक 31.07.1986 की अधिसूचना सं फा.5 / 46 / 84—गृह(पुलिस) / स्था. के द्वारा दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियमावली 1980 के मूल नियम प्रकाशित हुए तथा आगे (i) दिनांक 21.8.2008 की अधिसूचना सं. फा. 13 / 13 / 2003 / गृह.पु.—1 / स्था. / 1975 एवं (ii) दिनांक 22.04.2014 की अधिसूचना सं. फा. 13 / 13 / 2003 / गृह. पु.—1 / स्था. / 228—230 के द्वारा संशोधित किया गया।

AUTHENTICATED
(NITYANAND RAI)
Minister of State for Home Affairs
Govt. of India
North Block, New Delhi

HOME-I (POLICE)/ESTABLISHMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 18th February, 2022

No. F. 16/12/2020/HP-I/Estt./3562-3568.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 147 of Delhi Police Act, 1978 (34 of 1978), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules further to amend the Delhi Police (Appointment and Recruitment) Rules, 1980, namely:-

1. Short title and commencement:-

(1) These Rules may be called the Delhi Police (Appointment and Recruitment) (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendments:-

In the said Rules, in Rule 17-B (iv), relating to the post of **Assistant Wireless Operator/Tele-Printer Operator (Head Constable)** of Communication Unit in Delhi Police.

(1) For the entry against the column, relating to the "Number of Posts", the following entry shall be substituted, namely:-

1793 (2020)

"Subject to variation dependent on work-load".

(2) For the entry against the column, relating to the "Scale of Pay", the following entry shall be substituted, namely:-

"Pay Level in the Pay Matrix" -- Level-4 (Rs. 25,500-81,100/-)

17

(3) For the entry against the column, relating to the "In case of recruitment by promotion/deputation/transfer grades from which promotion/deputation/transfer to be made)", the following entry shall be substituted, namely:-

Not applicable.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

PAWAN KUMAR, Dy. Secy. (Home-1)

Note : The Principal Rule of Delhi Police (Appointment & Recruitment) Rules, 1980 vide Notification No F. 5/46/84-Home(P)/Estt. dated 31.07.1986 and further amended vide (i) Notification No. F. 13/13/2003//HP-1/Estt./1975 dated 21.08.2008 and (ii) Notification No. F. 13/13/2003/HP-1/Estt./228-230 dated 22.04.2014.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.02.18 22:44:44 +05'30'